कोर्ट केस/महत्वपूर्ण/समयबद्ध।

संख्या-10 /773 /एक-4-2018-रा0-4

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2-चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ :दिनांकः06 अप्रैल, 2018**

विषय-रिट याचिका संख्या-12/एम0एस0/2018, तसनीम अख्तर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासान के पत्र संख्या-654/एक-4-2018-रा0-4 दिनांक 27.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में रिट याचिका संख्या 12/एम0एस0/2018, तसनीम अख्तर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 20.03.2018 को सुनवाई के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में मा0 न्यायालय की मंशा के अनुरूप समस्त राजस्व अभिलेख को 01 वर्ष में तथा गोसवारा एवं मिसलबन्द रजिस्टर्ड को तीन माह में डिजीटाइज किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश निर्गत किये गये थें।

2- प्रश्नगत रिट याचिका संख्या-12/एम0एस0/2018, तसनीम अख्तर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 30.03.2018 को सुनवाई के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2018 को पुनः सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए गोसवारा एवं मिसलबन्द रजिस्टर्ड को डिजीटाइज किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या से शपथपत्र के माध्यम से अवगत कराये जाने के आदेश दिये गये है। अतः कृपया मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश के क्रम में गोसवारा एवं मिसलबन्द रजिस्टर्ड को डिजीटाइज किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या शासन को दिनांक 30.04.2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।